

## भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला

टी० ए० मिस वाद संख्या 262A/2015-16

रोथो तियु बनाम 1. मंगल सिंह बोदरा 2. चन्द्र मोहन बोदरा 3. चरण सिंह बोदरा

:: आदेश ::

दिनांक

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

अभ्युक्ति

31.07.18

अभिलेख उपस्थापित। बिक्रेता रोथो तियु, पिता-स्व० डाबुंग हो ग्राम-हातिया, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावों ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता 1. मंगल सिंह बोदरा 2. चन्द्र मोहन बोदरा 3. चरण सिंह बोदरा पिता स्व० सादो बोदरा, ग्राम-नारायणडीह, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावां को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर कस्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये थे। न्यायालय द्वारा निर्गत सूचना एवं आवेदन का अंचल अधिकारी द्वारा अनुशंसा उपलब्ध नहीं उपलब्ध कराया गया। क्रेता का कार्ड कागजात अप्राप्त है। आवेदक पक्ष की ओर से कोई पैरवी या रुचि नहीं लिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक का यथा आवश्यकता पूर्ण हो गयी है।

अतः ऐसे स्थिति में वाद को निस्तार किया जाता है। आवेदक यदि चाहे तो पुनः आवेदन समर्पित कर सकते हैं।

31/07/18  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
सरायकेला।